

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 437]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 सितम्बर 2020—आश्विन 3, शक 1942

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
दाऊ कल्याण सिंह भवन, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक-16 A/चार/वि.स.उप.नि/2020/2128. — भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. 434/छ.ग-वि.स/2018, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 के द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-24-मरवाही (अ.ज.जा.) के लिए अपर कलेक्टर, पेण्डारोड, को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-24-मरवाही के लिए रिटर्निंग ऑफिसर (RO) छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-403 रायपुर, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 में अधिसूचित किया जा चुका है.

2. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. 434/छ.ग-वि.स/2018, एवं 434/छ.ग-वि.स/2018 (1), दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर (Returning Officer) एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (Assistant Returning Officer) की नियुक्ति अधिसूचित की गई है, जो सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2020—3 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं. 434/छ.ग.-वि.स./2018.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, यह निदेश देता है कि दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 की उसकी अधिसूचना सं. 434/छ.ग.-वि.स./2018 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे, अर्थात् ;

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में मद संख्या 24-मरवाही (अ.ज.जा.) के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी :—

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम (1)	निर्वाचन अधिकारी (2)
24-मरवाही (अ.ज.जा.)	कलेक्टर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

आदेश से,

हस्ता./—

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 25th September, 2020—3 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/CG-LA/2018.—In pursuance of the provisions of Section 21 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby directs that the following amendment shall be made in its notification No. 434/CG-LA/2018 dated 4th October, 2018.

In column 2 of the Table appended to the said Notification, in place of existing entries against item no. 24- Marwahi (ST), the following entry shall be substituted :—

TABLE

Number and Name of Assembly Constituency (1)	Returning Officer (2)
24-Marwahi (ST)	Collector, Gaurela-Pendra-Marwahi

By order,

Sd/-

(Narendra N. Butolia)
Senior Principal Secretary,

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2020—3 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं. 434/छ.ग.-वि.स./2018(1).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, यह निदेश देता है कि दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 की उसकी अधिसूचना सं. 434/छ.ग.-वि.स./2018 (1) में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे, अर्थात् ;

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में, मद संख्या 24-मरवाही (अ.ज.जा.) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेगी :—

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम (1)	सहायक निर्वाचन अधिकारी (2)
24-मरवाही (अ.ज.जा.)	1. अपर कलेक्टर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 25th September, 2020—3 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/CG-LA/2018(1).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 22 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 434/CG-LA/2018(1) dated 4th October, 2018.

In column 2 of the Table appended to the said Notification, in place of existing entries against item

no. 24- Marwahi (ST), the following entries shall be substituted :—

TABLE

Number and Name of Assembly Constituency (1)	Assistant Returning Officer (2)
24-Marwahi (ST)	1. Additional Collector, Gaurela-Pendra-Marwahi
	2. Sub Divisional Officer (Revenue), Gaurela-Pendra-Marwahi

By order,

Sd/-

(Narendra N. Butolia)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.